

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण**गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के मामले में 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार**

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 345/20 धारा 323/504/506/308 भा0द0वि0 के मामले में वाँछित अभियुक्तगण नाम पता 1- अनिल पुत्र छोटेलाल 2- संदीप पुत्र छोटेलाल 3- माता प्रसाद पुत्र श्याम लाला निवासीगण मठियापार थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया है। विदित हो कि अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 11.11.2020 को बच्चों के विवाद को लेकर वादी फूलचन्द की पत्नी को मारपीट कर बेहोश कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना दुधारा पर दिनांक 12.11.2020 को अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.11.2020 को उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता जीतेन्द्र पुत्र रामप्रीत निवासी चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 672 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का विक्रय करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 12/20 धारा 420 /467/468/471/504/506 भादवि में वाँछित अभियुक्त नाम पता इसरार अहमद पुत्र शौकत अली निवासी खरवनिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.08.2020 को वादी की जमीन का जाली दस्तावेज तैयार करके विक्रय कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर दिनांक को अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 13.11.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 211/20 धारा 324/354 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता बेचू पुत्र सुदामा निषाद निवासी भेड़ौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.11.2020 को वादी की पुत्री के साथ छेड़खानी व मारपीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 9.11.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 13.11.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

दुष्कर्म की घटना कारित करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 604/20 धारा 376/506 भा0द0वि0 के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता मजरुल हसन पुत्र अली हसन निवासी गाँधीग्राम सगरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 17.10.2020 को अभियोग पंजीकृत करते हुए आज दिनांक 13.11.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा दो पक्षों मे मारपीट/ विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत भिटिया से इवेन्ट संख्या 13214 से कालर ने दो पक्षों मे मारपीट होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 11 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना के घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आरक्षी जगदीश शरण, हो0चा0 राजेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 136 वाहनो से 117500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 13-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 136 वाहनो से 117500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।